प्रकरण संख्या 51/2022 किशनलाल व अन्य बनाम पिन्टू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड़ में आराजी नंबर 945, 954, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 3517 कुल किता 9 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित है। पक्षकारान के मध्य मौके पर बंटवारा किया हुआ होकर अपने–अपने हिस्से की आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से भूमि के विकास में कठिनाई आती है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग किये जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे तथा मुझ वादी के हिस्से पांती की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता कायम कराया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 30.12.2021 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.07.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थी को दिनांक 06.05.2022 को हुई [illegible] दिनांक से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:09 IST
Reason: SelfAttested

करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि दौराने वाद वादी की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान द्वारा दिनांक 14.11.2019 को नामकायमी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.01.2022 को रेकार्ड पर लिया गया तथा पत्रावली जवाब बहस हेतु दिनांक 13.03.2020 को नियत की गयी। उसके बाद कोविड 19 एवं अन्य कारणों से आगामी 11 पेशियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 24.12.2021 को भी प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं उस दिन विचाराधीन सभी प्रकरणों में तारीख पेशी दिनांक 04.03.2022 दी गयी, किन्तु इसके पूर्व में दिनांक 30.12.2021 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण को बिना सुने एकपक्षीय वाद डिक्री कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1984 पेज 111, ए.आई.आर. 1978 सुप्रिम कोर्ट पेज 597, ए.आई. आर. 1983 सुप्रिम कोर्ट पेज 75, आर.आर.डी. 1992 पेज 598 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 10.01.2020 को आदेश

22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र रेकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु दिनांक 13.03.2020 के लिए नियत की गयी तथा उसके बाद निरन्तर आगामी 11 पेशियों पर कोरोना व अन्य कारणों से कोई कार्यवाही नहीं होकर प्रकरण में दिनांक 24.12.2021 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उसके पूर्व ही दिनांक 0.11.2021 को पत्रावली तलब होकर दिनांक 30.12.2021 के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान में रखी गयी, किन्तु उक्त दिनांक की कोई सूचना अपीलान्टगण को दी गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रकरण में बिना अपीलान्टगण को बिना जवाब/बहस का अवसर दिये तथा बिना किसी राजीनामे के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री किया गया, जो अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 38/2019 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.12.2011 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.01.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं [illegible] राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]पुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:09 IST
Reason: SelfAttested